

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016—भाद्र 18, शक 1938

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2016

क्र. एफ 4 (ई) 1-2016-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 में निम्नलिखित और

संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“18-ख, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति या एजेन्सी जो भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिये अधिकृत घोषित किए गये हों, उन निर्बंधनों के अध्वधीन रहते हुए, जो कि विनिर्दिष्ट किए जाएं, कारखानों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत होंगे.”

No. F-4(E)-1-2016-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) Section 8 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Factories Rule, 1962, namely:—

### AMENDMENT

In the said rules, after rule 18-A, the following rule shall be added namely:—

“18-B. Notwithstanding anything contrary contained in these rules, any person or agency, which is so authorized by the Government of India, Ministry of Labour & Employment. Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai to conduct inspection under this Act, shall be authorised to conduct inspection subject to such restrictions as may be specified.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

### गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. एफ 5-50-2010-बी-3-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपोयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त रेग्यूलेशन में, भाग 2 अध्याय 2 खण्ड 2 के विनियम 80 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“विनियम 80 :— इनामों का प्रदाय-वर्ग(ब)(ii) के इनाम निम्न प्रकार होंगे—

इनाम की प्रकृति (1)	स्वीकृत करने वाला अधिकारी (2)	पुरुस्कार राशि की सीमाएं (3)
(i) अच्छी सेवा के लिए या अच्छे आचरण के निश्चित कार्य के लिए बहादुरी या, चतुराई के लिए.	1. पुलिस महानिदेशक	5,000/-
	2. अति. पुलिस महानिदेशक	1,500/-
	3. पुलिस महानिरीक्षक	1,000/-
	4. उप पुलिस महानिरीक्षक	500/-
	5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक.	500/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. एस. मुक्ताती, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. एफ 5-50-2010-बी-3-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-50-2010-बी-3-दो, दिनांक 29 अगस्त 2016 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

Bhopal the 29th August 2016

No F.5-50-2010-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 of the police Act, 1861 (No. V of 1861), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said regulation, in Section II of chapter II Part II for regulation 80, the following regulation shall be substituted, namely :—

"Regulation 80-Rewards payment of Rewards of class (b)(i) will be as follows :—

Name of the Reward (1)	Sanctioning Officer (2)	Amount Limits (3)
(i) For good service or Definite acts of good Conduct, bravery or Inteligence.	(1) Director General of Police	5,000/-
	(2) Add. Director General Police.	1,500/-
	(3) Inspector-General Police.	1,000/-
	(4) Deputy Inspector General of Police.	500/-
	(5) Asst. Inspector-General of Police/ Superintendent of Police.	500/-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
D. S. MUKATI, Under Secy.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग  
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462 016

**अंतिम विनियम**

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. 1439-मप्रविनिआ-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 13, 14, 61 की उपधारा (ज), 86 की उपधारा (1) के खण्ड (e) तथा (k) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (एमपीईआरसी), एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति) विनियम, 2016**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति) विनियम, 2016” है।

(2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ‘अधिनियम’ से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) ‘बिलिंग चक्र’ से अभिप्रेत है, लघु-ग्रिड आपरेटर द्वारा उपभोक्ता अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किए गए विद्युत् देयक की बिलिंग आवृत्ति;

(ग) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(घ) ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) से अभिप्रेत है, लघु-ग्रिड परियोजना से संबंधित तकनीकी, वित्तीय तथा पर्यावरणीय पहलुओं आदि से मिलकर बनने वाला विस्तृत प्रतिवेदन;

(ङ) ‘वितरण फ्रेन्चाईजी’ (डी.एफ.) से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके निमित्त किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति क्षेत्र के भीतर विद्युत् की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति;

(च) ‘वितरण फ्रेन्चाईजी अनुबंध’ (डी.एफ.ए.) से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड तथा लघु-ग्रिड आपरेटर के मध्य-लघु-ग्रिड आपरेटर द्वारा वितरण फ्रेन्चाईजी के रूप में प्रदत्त सेवाओं के लिए अनुबंध;

(छ) ‘वितरण फ्रेन्चाईजी फीस’ वितरण फ्रेन्चाईजी अनुबंध के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त लघु-ग्रिड आपरेटर द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु फीस;

(ज) ‘वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली’ से अभिप्रेत है, पारेषण लाईनों अथवा विद्युत् उत्पादक केन्द्र संयोजन तथा उपभोक्ताओं की स्थापना के संयोजन बिन्दु के मध्य तार प्रणाली तथा संबद्ध सुविधाएं;

- (झ) 'सम्प्रेषण विद्युत्-दर' (एफ.आई.टी.) से अभिप्रेत है, लघु-ग्रिड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् के उपापन हेतु विद्युत्-दर जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 61 (ज) के अनुसरण में अवधारित किया गया है;
- (ञ) 'ग्रिड का पहुंचना' से अभिप्रेत है, लघु-ग्रिड क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली का विस्तार;
- (ट) 'अन्तर्संयोजन बिन्दु' से अभिप्रेत है, लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली की ओर विद्युत् आपूर्ति के लिए अन्तर्मुख बिन्दु;
- (ठ) 'लघु-ग्रिड क्षेत्र' से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्रों से है, जहां लघु-ग्रिड आपरेटर द्वारा लघु-ग्रिड परियोजनाओं के माध्यम से इन विनियमों के अधीन विद्युत् की आपूर्ति की जाएगी;
- (ड) 'लघु-ग्रिड आपरेटर' (एम.जी.ओ.) से अभिप्रेत है, एक व्यक्ति, व्यक्तियों के किसी समूह, स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, उपभोक्ता संगम, सहकारी समितियों, गैर-शासकीय संगठनों, एक कम्पनी से है जो विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश राज्य के भीतर लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का निर्माण, इसे क्रियाशील तथा इसका संधारण करती हो तथा जिसके द्वारा इन विनियमों के अधीन इसके परिचालन हेतु सहमति व्यक्त की गई हो;
- (ढ) 'लघु-ग्रिड परियोजना' से अभिप्रेत है, लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जो विद्युत् का उत्पादन करती हो तथा उपभोक्ताओं को विद्युत् की आपूर्ति करती हो या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् का विक्रय करती हो;
- (ण) 'लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली' (एम.आर.ई.एस.) से अभिप्रेत है, कोई एकल विद्युत् संयंत्र जो उपभोक्ताओं और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् की आपूर्ति हेतु लघु-ग्रिड क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहा हो;
- (त) 'आबंधित इकाई' से अभिप्रेत है, एक ऐसी इकाई जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन नवीकरणीय क्रय आबंध की पूर्ति के आदेशाधीन हो तथा जिसकी मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् का उत्पादन तथा सह उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 तथा इसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अधीन किया गया हो;
- (थ) 'विद्युत् क्रय अनुबंध' (पी.पी.ए.) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा लघु-ग्रिड आपरेटर के मध्य लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन पर उत्पादित विद्युत् के क्रय हेतु अनुबंध;
- (द) 'प्राथमिक वितरण तंत्र' (पी.डी.एन.) से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट किए गए सुरक्षा उपायों तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में तकनीकी मानकों के अनुसार लघु-ग्रिड क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत् आपूर्ति हेतु लघु-ग्रिड आपरेटर द्वारा स्वामित्व वाली वितरण अधोसंरचना;
- (ध) 'नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र' (आर.ई.सी.) से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा जारी करने का निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के माध्यम से अथवा समय-समय पर यथासंशोधित, विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किये गये प्रमाण-पत्र;
- (न) 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत' से अभिप्रेत है, ऐसे लघु जल विद्युत्, पवन, सौर, बायोमास, जैव-ईंधन (बायो-फ्यूएल), शहरी अथवा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट तथा ऐसे अन्य स्रोत जैसे कि एम.एन.आर.ई. द्वारा यथाअनुमोदित विद्युत् के उत्पादन हेतु समय-समय पर नवीकरणीय स्रोत;

- (प) 'नवीकरणीय क्रय आबंध' (आर.पी.ओ.) से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन आबंधित इकाई हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत् के क्रय हेतु यथाविनिर्दिष्ट आवश्यकता;
- (फ) 'राज्य नोडल अभिकरण' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य में राज्य स्तर पर ग्रिड संयोजित तथा बाह्य-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु नोटल अभिकरण. विद्यमान व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड लघु-ग्रिड परियोजनाओं के लिये राज्य नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा;
- (ब) 'टैरिफ कालावधि' से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिस हेतु आयोग द्वारा लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत् सम्प्रेषण विद्युत्-दर के लिए अवधारित है;
- (भ) 'चक्रण अनुबंध' से अभिप्रेत है, प्राथमिक वितरण तंत्र पीडीएन के माध्यम से विद्युत् की आपूर्ति हेतु लघु-ग्रिड आपरेटर के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध;
- (म) 'वर्ष' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष.

#### भाग—क विस्तार तथा लागू होना

3. विनियमों का विस्तार तथा लागू होने की सीमा.—(1) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत् के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु नवीन तथा विद्यमान लघु-ग्रिड परियोजनाओं को लागू होंगे. विद्यमान लघु-ग्रिड परियोजनाओं को इन विनियमों की अधिसूचना से छः माह के भीतर विनियमों के अनुसार तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा;

(2) 10 किलोवाट या अधिक स्थापित क्षमता से युक्त लघु-ग्रिड परियोजनाएं इन विनियमों से शासित होंगी.

#### भाग—ख सामान्य सिद्धांत

4. व्यावसायिक परिचालन हेतु मॉडल.—(1) लघु-ग्रिड आपरेटर, लघु-ग्रिड क्षेत्रों में जहां ग्रिड अस्तित्व में नहीं है, विद्युत् आपूर्ति के संबंध में लघु-ग्रिड परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नलिखित परिचालन मॉडल अथवा किसी अनुवर्ती मॉडल के अन्तर्गत जैसा कि इसे भविष्य में आयोग द्वारा अनुमोदित कर सकेगा:—

- (क) लघु-ग्रिड आपरेटर ऐसे क्षेत्रों में, जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, प्राथमिक वितरण तंत्र के माध्यम से विद्युत् के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु लघु-ग्रिड परियोजनाओं का निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण करेगा.
- (ख) लघु-ग्रिड आपरेटर लघु-ग्रिड परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत् की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति उपभोक्ताओं को परस्पर सम्मत् विद्युत्-दर पर करने का हकदार होगा. ग्रिड की पहुंच उपलब्ध हो जाने पर, लघु-ग्रिड आपरेटर, उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् की मात्रा की आपूर्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर आयोग द्वारा अवधारित की गई सम्प्रेषण विद्युत्-दर एफआईटी पर करेगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के विनियमों द्वारा शासित होगा.
- (ग) लघु-ग्रिड आपरेटर, प्राथमिक वितरण तंत्र का स्वामित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी को हस्तान्तरण तारीख पर आस्तियों के अंकित-मूल्य पर परस्पर सहमति के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के मानकों के अनुसार हस्तान्तरण करेगा. या लघु-ग्रिड आपरेटर यदि विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा प्राथमिक वितरण तंत्र का प्रभार ग्रहण करते समय किन्हीं कमियों के बारे में इंगित किया जाए तो लघु-ग्रिड-आपरेटर, पाई गई कमियों का सुधार, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के मानकों के अनुसार करेगा. आस्तियों के अंकित मूल्य का निर्धारण, आयोग द्वारा तीन वर्षों की कालावधि

हेतु नियुक्त किए गए किसी तृतीय पक्षकार अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा. आस्तियों के मूल्यांकन हेतु लागत लघु-ग्रिड ऑपरेटर तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी.

### भाग- ग तकनीकी संरचना

5. **प्राथमिक वितरण तंत्र के निर्माण हेतु तकनीकी मानक.**—(1) लघु-ग्रिड ऑपरेटर, सुसंगत नियमों / विनियमों के अनुसार प्राथमिक वितरण तंत्र के सुरक्षित संचालन तथा संधारण के लिए उत्तरदायी होगा.

(2) प्राथमिक वितरण तंत्र के निर्माण हेतु तकनीकी मानक, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत् आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार होंगे.

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली हेतु तकनीकी मानक इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली द्वारा प्रसारित किए जाएंगे.

(4) 10 किलोवाट तथा अधिक क्षमता वाली परियोजना के साथ लघु-ग्रिड परियोजनाओं के संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के तकनीकी मानकों के अनुरूप प्राथमिक वितरण तंत्र का निर्माण करना अपेक्षित होगा.

(5) ये विनियम समस्त नवीन तथा विद्यमान लघु-ग्रिड परियोजनाओं को लागू होंगे. राज्य नोडल अभिकरण, प्राथमिक वितरण तंत्र के तकनीकी मानकों के सत्यापन हेतु तृतीय पक्षकार अभिकरण की नियुक्ति करेगा.

6. **ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक.**—(1) दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक राज्य नोडल अभिकरण द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श से जारी तथा आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे. राज्य नोडल अभिकरण, भविष्य में लघु-ग्रिड परियोजनाओं हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मानकों का अनुसरण भी कर सकेगा.

(2) जब तक अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक आयोग द्वारा अनुमोदित हैं, प्रस्तावित ग्रिड के साथ लघु-ग्रिड परियोजना के अन्तर्संयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (वितरित विद्युत् उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2012, लागू होंगे.

(3) लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से अन्तर्संयोजन तंत्र की लागत, लघु-ग्रिड द्वारा वहन की जाएगी.

7. **लघु-ग्रिड परियोजनाओं हेतु सुरक्षा उपाय.**—विद्युत् उपकरण की स्थापना संबंधी कार्य केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (सुरक्षा और विद्युत् आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुपालन में होने चाहिए.

8. **मापन व्यवस्था.**—(1) समस्त मापयंत्र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट मानकों तथा उपबंधों के अनुरूप होंगे.

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्रों की स्थापना लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के अन्तर्संयोजन बिन्दु पर करेगा.

(3) अन्तर्संयोजन बिन्दु पर मापयंत्रों की स्थापना हेतु लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा.

(4) लघु-ग्रिड आपरेटर मापयंत्र की स्थापना निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार करेगा.—

- (क) लघु-ग्रिड परियोजना पर विद्युत् उत्पादन के अभिलेख हेतु विद्युत् उत्पादन मापयंत्र की स्थापना का कार्य. इस आबंधित इकाईयों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आबन्ध के प्रयोजन की पूर्ति भी की जाएगी; और
- (ख) लघु-ग्रिड परियोजना से प्रत्येक वहिर्गामी फीडर पर मापयंत्रों की स्थापना.

#### भाग-घ

#### परिचालन संरचना

9. वितरण फ्रेंचाईजी संरचना.—(1) कोई वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध, लघु-ग्रिड आपरेटर तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के मध्य निष्पादित किया जाएगा.

(2) लघु-ग्रिड आपरेटर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण फ्रेंचाईजी की नियुक्ति हेतु क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट रूपात्मक शर्तों को पूरा करने के लिए लघु-ग्रिड आपरेटर, वितरण फ्रेंचाईजी की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा. ऐसे प्रकरण में, लघु-ग्रिड आपरेटर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ अनुज्ञप्तिधारी की ओर से व्यापारिक कार्य के प्रचालन हेतु वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध का निष्पादन करेगा तथा वितरण फ्रेंचाईजी शुल्क क्रियाविधि के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी.

(3) वितरण फ्रेंचाईजी फीस तथा अन्य निबंधन तथा शर्तें वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में समावेश की जाएंगी.

#### भाग-ङ

#### वाणिज्यिक संरचना

10. उपभोक्ताओं को आपूर्ति हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन.—लघु-ग्रिड आपरेटर उपभोक्ताओं के साथ बिलिंग तथा बिल भुगतान चक्र का परस्पर निर्णय करेगा. इसके साथ-साथ, परियोजना संबंधी विवरण आयोग के समक्ष, संचालन प्रारंभ होने के एक माह पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे.

11. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऊर्जा लेखांकन तथा आपूर्ति हेतु व्यवस्थापन—(1) लघु-ग्रिड आपरेटर वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के अन्तर्संयोजन बिन्दु पर अन्तःक्षेपित विद्युत् के विरुद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिलिंग की कालावधि के आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा, तथा आयोग द्वारा निर्धारित की गई सम्प्रेषण विद्युत्-दर के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(2) भुगतान तथा संविदा की अन्य निबंधन तथा शर्तें, विद्युत् क्रय अनुबंध में समावेश की जाएंगी.

12. वितरण फ्रेंचाईजी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन.—(1) लघु-ग्रिड आपरेटर वितरण फ्रेंचाईजी के क्रियाकलापों हेतु वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी बिल प्रस्तुत करेगा.

(2) भुगतान तथा संविदा की अन्य निबंधन तथा शर्तों के वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में समावेश किया जाएगा.

13. नवीकरणीय क्रय बाध्यता.—लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत् की मात्रा विद्युत् वितरण कम्पनी हेतु नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के प्रति अर्हता होगी.

14. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र क्रियाविधि.—नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की प्रयोज्यता केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा जारी करने के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2010 पर आधारित होगी.



**भाग-च**  
**संविदात्मक संरचना**

15. **विद्युत् क्रय अनुबंध.**—(1) लघु-ग्रिड आपरेटर द्वारा घोषित क्षमता, विद्युत् क्रय अनुबंध के लिए अर्हता होगी।

(2) लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत् के आंशिक अथवा सम्पूर्ण विक्रय हेतु लघु-ग्रिड आपरेटर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध में शामिल करेगा।

16. **अनुबंधों का प्रतिसंहरण.**—अनुबंधों के निरस्तीकरण के प्रकरण में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा लघु-ग्रिड आपरेटर, विद्युत् क्रय अनुबंध तथा वितरण फ्रेंचाइजी अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का (जैसी कि लागू हो) अनुसरण करेंगे।

17. **बहिर्गमन विकल्प.**—(1) लघु-ग्रिड आपरेटर को राज्य नोडल अधिकरण से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर लघु-ग्रिड क्षेत्र से बहिर्गमन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) बहिर्गमन के विकल्प, लघु-ग्रिड आपरेटर एमजीओ तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लागू अनुबंधों द्वारा शासित होंगे।

(3) ऐसे क्षेत्रों में, जहां लघु-ग्रिड व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान हो, वहां ग्रिड के आगमन पर लघु-ग्रिड आपरेटर वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राथमिक वितरण नेटवर्क के स्वामित्व के अन्तरण के बारे में परस्पर निर्णय करेगा।

**भाग-छ**

**हितधारिकों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व**

18. **राज्य नोडल अधिकरण.**—इन विनियमों के निर्विग्न तथा प्रभावी क्रियान्वयन को सुकर बनाए जाने के उद्देश्य में, राज्य नोडल अधिकरण की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :—

- (क) जब कभी भी आवश्यक हो, लघु-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली हेतु सम्प्रेषण विद्युत् दर के अवधारण में आयोग को जानकारी प्रदान करना;
- (ख) राज्य में लघु-ग्रिड परियोजना विकास की खोज पर दृष्टि रखने की प्रक्रिया को संस्थित करना;
- (ग) इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श में अन्तर्संयोजन हेतु आयोग को तकनीकी मानक प्रस्तुत करना;
- (घ) लघु-ग्रिड परियोजना के संचालित करने से, लघु-ग्रिड आपरेटर को प्रयोज्य आपूर्ति मॉडल के अन्तर्गत माईग्रेशन को सुकर बनाना;
- (ङ) आयोग को समर्थन देना तथा विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के अनुक्रम में उसके द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराना;
- (च) लघु-ग्रिड आपरेटर के बहिर्गमन तथा माईग्रेशन के अनुरोध का प्रबंध करना; और
- (छ) विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन संचालित किए जाने हेतु तैयार नवीन लघु-ग्रिड परियोजनाओं तथा विद्यमान परियोजनाओं हेतु तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा उपायों की पुष्टिकरण के लिए प्राथमिक वितरण तंत्र के सत्यापन हेतु तृतीय पक्षकार को सुकर बनाना।

19. वितरण अनुज्ञप्तिधारी.—वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिये उत्तरदायी होगा :—

- (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के तकनीकी मानकों को विनिर्दिष्ट तथा शेयर करना;
- (ख) लघु-ग्रिड आपरेटर से आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर लघु-ग्रिड आपरेटर के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध करना; और
- (ग) परस्पर सहमति के साथ, लघु-ग्रिड आपरेटर से आवेदन प्राप्त करने पर वितरण फ्रेंचाइजी अनुबंध में प्रविष्टि करना.

20. लघु-ग्रिड आपरेटर.—(1) लघु-ग्रिड आपरेटर, विद्युत् का उत्पादन तथा लघु-ग्रिड क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत् की आपूर्ति करेगा.

(2) लघु-ग्रिड परियोजना, विनियमों में विनिर्दिष्ट तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा उपायों के अनुरूप होगी.

(3) ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन किए जाने पर, क्षेत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध तथा वितरण फ्रेंचाइजी अनुबंध (जैसा कि लागू हो) के अधीन यथा-उल्लिखित कृत्यों को निष्पादित करेगा.

21. लघु-ग्रिड क्षेत्र में उपभोक्ता.—(1) चिन्हांकित लघु-ग्रिड क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा लघु-ग्रिड आपरेटर को विद्युत् प्रभारों का नियमित भुगतान परस्पर, समस्त विद्युत् दर पर आधारित होगा.

(2) उपभोक्ता, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग द्वारा ऊर्जा दक्ष उपायों को अपनाएगा तथा समग्र विद्युत् की खपत को कम करेगा.

### भाग-ज

#### प्रकीर्ण

22. भुगतान सुरक्षा.—(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, लघु-ग्रिड आपरेटर को भुगतान में प्राथमिकता देगा.

(2) लघु-ग्रिड परियोजना से हरित विद्युत् के क्रय हेतु सम्प्रेषण विद्युत्-दर के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, आस्ति फीस (यदि देय हो) तथा वितरण फ्रेंचाइजी फीस, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होंगे.

23. तकनीकी समिति का बनाया जाना.—(1) आयोग द्वारा, राज्य स्तर पर तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा.

(2) समिति में राज्य नोडल अभिकरण, लघु-ग्रिड आपरेटर तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधित्व हो जो मुख्य अभियन्ता की श्रेणी से कम का नहीं होगा.

(3) समिति, विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों की समग्र प्रगति का पर्यवेक्षण करेगी.

24. शिकायत निवारणक्रियाविधि.—(1) आयोग लघु-ग्रिड आपरेटर तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य किसी विवाद का निराकरण करेगा.

(2) किसी उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( उपभोक्ताओं की शिकायत के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत् लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2009 के अनुसार किया जाएगा.

25. क्रियान्वयन दिशा-निर्देश.—(1) इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना से तीन माह के भीतर, वितरण अनुज्ञापिधारी निम्नलिखित विचारों के साथ लघु-ग्रिड परियोजना की संरचना शासित करने वाले क्रियान्वयन दिशा-निर्देश विकसित करेगा:—

- (क) प्राथमिक वितरण तन्त्र के निर्माण हेतु तकनीकी मानक;
- (ख) लघु-ग्रिड परियोजना के ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक;
- (ग) मॉडल के अन्तर्गत विकल्पों का माइग्रेशन;
- (घ) वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध के सिद्धान्त; तथा
- (ङ) विनियमों के क्रियान्वयन हेतु अन्य कोई सुसंगत विषय.

(2) क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

26. निर्देश देने की शक्ति.—आयोग, समय-समय पर, ऐसे निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है, जैसा इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु समुचित समझे जाएं.

27. शिथिल करने की शक्ति.—आयोग, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा तथा प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष आवेदन करने पर, इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा.

28. कठिनाईयां को दूर करने की शक्ति.—यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, आयोग, सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों द्वारा इन उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह ऐसी कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक समझे.

29. संशोधन करने की शक्ति.—आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को परिवर्धित, तबदील परिवर्तित, स्थगित, रूपान्तरित, संशोधित अथवा निरसित कर सकेगा.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal the 2nd September 2016

No. 1439-MPERC-2016.—In exercise of powers conferred by Section 181 read with Sections 13, 14, sub-section (h) of Section 61, 66, clause (e) and (k) of sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (MPERC) hereby makes the following Regulations, namely:—

**MPERC (MICRO-GRID RENEWABLE ENERGY GENERATION AND SUPPLY)  
REGULATIONS, 2016**

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These Regulations shall be called the MPERC (Micro-Grid Renewable Energy Generation and Supply) Regulations, 2016.

(2) These Regulations shall apply to whole State of Madhya Pradesh.

(3) These Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions and Interpretations.**—In these Regulations, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Act” means Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “Billing Cycle” means the billing frequency for electricity bill raised by the Micro-Grid Operator to the consumer or to the Distribution Licensee;

- (c) “Commission” means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under the Act.
- (d) “Detailed Project Report (DPR)” means a detailed report consisting of technical, financial and environmental aspects, etc. related to the Micro-Grid project;
- (e) “Distribution Franchisee (DF)” means a person authorized by a Distribution Licensee to supply electricity on its behalf in a particular area within his area of supply;
- (f) “Distribution Franchisee Agreement” (DFA) means the Agreement between the Distribution Licensee or M.P. Power Management Co. Ltd. on behalf of Distribution Licensee and the Micro-Grid Operator for the services rendered by Micro-Grid Operator as DF;
- (g) “Distribution Franchisee Fees” is the fee for services rendered by the Micro-Grid Operator on behalf of Distribution Licensee as per the DFA;
- (h) “Distribution Licensee’s System” means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;
- (i) “Feed-in-Tariff” (FiT) means the tariff for procurement of electricity by the Distribution Licensee from the Micro-Grid based renewable energy system as determined by Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission pursuant to Section 61(h) of the Act;
- (j) “Grid Arrival” means extension of Distribution Licensee’s system in the Micro-Grid area;
- (k) “Interconnection Point” means the interface point for supply of electricity from the Micro-Grid Renewable Energy System to the Distribution Licensee’s System;
- (l) “Micro-Grid Area” means the areas where electricity would be supplied through Micro-Grid projects by the Micro-Grid Operator under these Regulations;
- (m) “Micro-Grid Operator” (MGO) means a person, a group of persons, local authority, Panchayat Institution, users’ association, co-operative societies, non-governmental organizations, a company that constructs, commissions, operates and maintains Micro-Grid Renewable Energy System within the State of Madhya Pradesh for generation and supply of electricity in the Micro-Grid areas and has agreed to operate under these Regulations;
- (n) “Micro-Grid Project” means the Micro-Grid Renewable Energy System generating and supplying electricity to consumers or selling electricity to Distribution Licensee;
- (o) “Micro-Grid Renewable Energy System (MRES)” means the stand alone power plant generating electricity using renewable energy source in the Micro-Grid area for supply to consumers and/or to Distribution Licensee;
- (p) “Obligated Entity” means the entity mandated under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act to fulfill the Renewable Purchase Obligation and identified under MPERC (Cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy) (Revision-I) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof;
- (q) “Power Purchase Agreement” (PPA) is an Agreement between Distribution Licensee and MGO for the purchase of electricity generated from the MRES upon interconnection with grid;
- (r) “Primary Distribution Network” (PDN) means the distribution infrastructure owned by MGO for supplying electricity generated from the MRES to the consumers in the Micro-Grid area as

per safety measures specified under Section 53 of the Act and technical standards in the implementation guidelines specified by CEA.

- (s) "Renewable Energy Certificates" (REC) means the Certificates issued in accordance with the procedures specified by the Central Electricity Regulatory Commission through Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;
- (t) "Renewable Energy Sources" means renewable sources such as small hydro, wind, solar, biomass, bio fuel, urban or municipal solid waste and other such sources as approved by the MNRE from time to time for generation of electricity;
- (u) "Renewable Purchase Obligation" (RPO) means the requirement as specified under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act, for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources;
- (v) "State Nodal Agency" means the nodal agency at the State level for promotion of grid connected and off-grid renewable energy in the state of Madhya Pradesh. As per the existing arrangement MPUVNL shall act as the State Nodal Agency for Micro-Grid projects;
- (w) "Tariff Period" means the period for which FiT is to be determined by the Commission for the electricity generated from MRES;
- (x) "Wheeling Agreement" means the agreement signed by Distribution Licensee with MGO for supply of electricity through PDN;
- (y) 'Year' means a Financial Year.

#### Part – A

#### SCOPE AND APPLICATION

**3. Scope of Regulations and Extent of Application.—**(1) These Regulations shall apply to new & existing Micro-Grid projects for generation and supply of electricity to consumers in the rural areas in the State of M.P. The existing Micro-Grid projects shall within six months of notification of these Regulations, comply the technical standards and safety measures as per the Regulations;

(2) The Micro-Grid projects with installed capacity of 10kW or more shall be governed by these Regulations;

#### Part – B

#### GENERAL PRINCIPLES

**4. Model for Business Operations.—**(1) MGO may implement Micro-Grid projects for supply of electricity in Micro-Grid areas where grid is not in existence under following operational model or any subsequent model as approved by the Commission in future:

- (a) MGO shall construct, commission, operate and maintain Micro-Grid projects for generation and supply of electricity through PDN in areas where Distribution Licensee's System doesn't exist.
- (b) MGO shall be entitled to supply entire quantum of electricity generated from the Micro-Grid projects to the consumers at mutually agreed tariff. Upon grid arrival, MGO shall generate and supply entire electricity generated to the Distribution Licensee at the interconnection point at FiT determined by the Commission and shall be governed by MPERC Regulations regarding Renewable Energy.

- (c) MGO shall transfer ownership of PDN conforming to the standards of Distribution Licensee's system to Distribution Licensee with mutual consent based on book value of assets on the date of transfer. The MGO shall rectify the shortcomings as per CEA Standards, if pointed out by the Discom while taking over the PDN. The book value of the asset shall be determined by a third party agency appointed for a time period of three years by the Commission. The cost for valuation of assets shall be equally borne by the concerned MGO and the concerned Distribution Licensee.

**Part - C**  
**TECHNICAL FRAMEWORK**

**5. Technical Standards for Construction of PDN.—**(1) MGO shall be responsible for safe Operation and Maintenance of the PDN as per the relevant Rules/Regulations.

(2) Technical Standards for construction of PDN shall be as per the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010.

(3) Technical Standards for Distribution Licensee's system shall be shared by the Distribution Licensee in public domain within one month from the date of official notification of these Regulations.

(4) Micro-Grid Projects with project capacity of 10 KW and above shall be required to construct PDN conforming to the technical standards of Distribution Licensee's system.

(5) These Regulations shall be applied on all new and existing Micro-Grid projects. State Nodal Agency shall appoint third party agency for verification of technical standards of PDN.

**6. Technical Standards for Interconnection with the Grid.—**(1) Technical Standards for Interconnection with the Grid shall be issued in the implementation guidelines by the State Nodal Agency in consultation with Distribution Licensee and approved by the Commission. State Nodal Agency can also follow the standards issued by the Authority for Micro-Grid projects in future.

(2) Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2012 shall be applicable for interconnection of the Micro-Grid project with the Grid till the proposed technical standards for Interconnection are approved by the Commission.

(3) The cost for interconnection network from the MRES to the Interconnection point shall be borne by the MGO.

**7. Safety Measures for Micro-Grid projects.—**The installations of electrical equipment must comply with Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electric Supply) Regulations, 2010.

**8. Metering Arrangement.—**(1) All the meters shall adhere to the standards and provisions specified in CEA (Installation and operation of meters) Regulations, 2006.

(2) Distribution Licensee shall install meter(s) at the interconnection point of MRES and Distribution Licensee's system.

(3) The cost for installation of meter(s) at interconnection point shall be borne by the Distribution Licensee.

(4) MGO shall install meter as per the following requirements:—

- (a) Generation meter at the Micro-Grid project to record the generation of electricity. This shall also serve the purpose of RPO fulfillment for obligated entity(ies); and
- (b) Meter(s) at each of the outgoing feeder(s) from the Micro-Grid project.

**Part – D**  
**OPERATIONAL FRAMEWORK**

**9. Distribution Franchisee Framework.**—(1) A DFA shall be executed between the MGO and concerned Distribution Licensee or M.P. Power Management Co. Ltd. on behalf of the Distribution Licensee.

(2) MGO may undertake role of DF provided MGO fulfils the modalities to be specified in the implementation guidelines for the appointment of DF by the Distribution Licensee. In such case, MGO shall enter into DFA with Distribution Licensee for undertaking operations on behalf of the Licensee and shall be compensated through a distribution franchisee fee mechanism.

(3) Distribution Franchisee Fee and other terms and conditions shall be covered in the DFA.

**Part – E**  
**COMMERCIAL FRAMEWORK**

**10. Energy Accounting and Settlement for supply to consumers.**—MGO shall mutually decide with the consumers on billing and payment cycle of bills. The same along with projects details shall be submitted to the Commission one month before the commencement of Operation.

**11. Energy Accounting and Settlement for supply to Distribution Licensee.**—(1) MGO shall raise bill against the electricity injected to the Distribution Licensee's system at the interconnection point based on the billing period of the Distribution Licensee and shall be reimbursed by the Distribution Licensee based on the FiT determined by the Commission.

(2) The other terms and conditions of payment and contract shall be covered in the PPA.

**12. Energy Accounting and Settlement for Distribution Franchisee activities.**—(1) MGO shall raise bill to Distribution Licensee for Distribution Franchisee activities as per the DFA.

(2) The other terms and conditions of payment and contract shall be covered in the DFA.

**13. Renewable Purchase Obligation.**—The quantum of electricity generated from the MRES shall qualify towards compliance of RPO for the Discom.

**14. Renewable Energy Certificate mechanism.**—Applicability of REC shall be based on the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 or as amended from time to time.

**Part – F**  
**CONTRACTUAL FRAMEWORK**

**15. Power Purchase Agreement.**—(1) The capacity declared by MGO shall qualify for PPA.

(2) For partial or entire sale of electricity generated from MRES, MGO shall enter into PPA with Distribution Licensee or M.P. Power Management Co. Ltd. on behalf of the Distribution Licensee.

**16. Revocation of Agreements.**—In case of termination of Agreement(s), the Distribution Licensee and MGO shall follow the process specified in the PPA and DFA (as may be applicable).

**17. Exit Options.**—(1) MGO shall be allowed to exit the Micro-Grid area upon obtaining requisite clearance from the State Nodal Agency.

(2) The Exit options will be governed by the Agreement(s) applicable to the MGO and Distribution Licensee.

(3) In areas where Micro-Grid pre-exists, MGO shall mutually decide with Distribution Licensee for transfer of ownership of PDN on advent of grid.

**Part – G**  
**ROLES AND RESPONSIBILITIES OF STAKEHOLDERS**

**18. State Nodal Agency.**—In order to facilitate smooth and effective implementation of these Regulations, the State Nodal Agency shall have following roles and responsibilities:—

- (a) Provide inputs to the Commission in determination of FiT for MRES as and when required;
- (b) To institute a process to keep track of Micro-Grid project development in the state;
- (c) To submit technical standards for interconnection in consultation with Distribution Licensee to the Commission within three months from the date of official notification of these Regulations;(d) To facilitate MGO in migration within an applicable supply model to operate the Micro-Grid project;
- (e) To support the Commission and furnish information sought from time to time in order to effectively implement the Regulations.
- (f) To administer exit and migration requests of MGO; and
- (g) To facilitate third party verification of PDN for confirmation of technical standards and safety measures for new Micro-Grid projects and existing projects willing to operate under specified Regulations.

**19. Distribution Licensee.**—Distribution Licensee shall be responsible for the following activities:—

- (a) To specify and share the technical standards of Distribution Licensee's system;
- (b) To enter into PPA with MGO within one month of receiving application from MGO; and
- (c) With Mutual consent, enter into DFA upon receiving application from MGO.

**20. Micro-Grid Operator.**—(1) MGO shall generate and supply electricity to consumers in the Micro-Grid areas;

(2) The Micro-Grid project shall conform to technical standards and safety measures specified in the Regulations.

(3) Execute the functions as outlined under PPA and DFA (as applicable) with the Distribution Licensee of the area upon interconnection with grid.

**21. Consumers in the Micro-Grid area.**—(1) Consumers in the identified Micro-Grid area shall regularly pay the electricity charges to the MGO, based on the mutually agreed tariff.

(2) Consumers shall adopt Energy Efficient measures by using Energy Efficient appliances and reduce the overall electricity consumption.



**Part - H**  
**MISCELLANEOUS**

**22. Payment Security.**—(1) The Distribution Licensee shall prioritize making payments to MGO.

(2) Compensation against FiT for purchase of green electricity from the Micro- Grid project, Asset fee (if payable) and the Distribution Franchisee Fee shall form part of ARR for the Distribution Licensee.

**23. Formation of Technical Committee.**—(1) Technical Committee will be constituted at the state level, by the Commission.

(2) The Committee will have representations from State Nodal Agency, Micro-Grid Operator and Distribution Licensee, not below the rank of Chief Engineer.

(3) The Committee will supervise the overall progress of the proposed activities for effective implementation of the Regulations.

**24. Grievance Redressal Mechanism.**—(1) The Commission shall resolve any conflict between MGO and the concerned Distribution Licensee(s).

(2) Grievance of any consumer shall be redressed as per MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for Redressal of Grievance of Consumer) Regulations, 2009.

**25. Implementation Guidelines.**—(1) Within three months of official notification of these Regulations, the Distribution Licensee shall develop Implementation guidelines governing the Micro-Grid project framework with following considerations :—

- (a) Technical standards for construction of PDN;
- (b) Technical standards for interconnectivity of the Micro-Grid project with the grid;
- (c) Migration options within a model;
- (d) Principles of Distribution Franchisee agreement; and
- (e) Any other relevant matter for implementation of the Regulations.

(2) The Implementation Guidelines shall be approved by the Commission.

**26. Power to give directions.**—The Commission may, from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these Regulations.

**27. Power to Relax.**—The Commission may by general or special order(s), for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

**28. Power to remove difficulties.**—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order(s), make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear it to be necessary for removing such difficulty.

**29. Power to amend.**—The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

By order of the Commission,  
SHAIENDRA SAXENA, Commission Secy.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2016

### शुद्धि-पत्र

क्रमांक 1450-मप्रविनिआ-2016.—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1709, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार में दिनांक 25 सितम्बर, 2015 को पृष्ठ क्रमांक 565 पर किया गया है। मध्यप्रदेश विद्युत् संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 के विनियम 5 के उपविनियम (10) का हिन्दी अनुवाद त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है।

अतएव, यह शुद्धि-पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त दर्शाये विनियम 5 के उप विनियम (10) को हिन्दी संस्करण में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“(10) विद्युत् उत्पादक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यस्ततम अवधि के दौरान घोषित क्षमता, उस दिन के सामान्य व्यस्त (off peak) अवधि के दौरान से कम नहीं होगी।

[अपवाद: विवशजन्य अवरोध के कारण इकाईयों में विद्युत् का अवरोध (ट्रिपिंग होना / पुनः- समकालन किया जाना)]”.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.